

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (स्कूल शिक्षा) के निम्नांकित प्राध्यापक को सेवा नियम 1951 के उप नियम -56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(6)एफडी/नियम/98 दिनांक 28.12.1998, प.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 एवं प.12(6)वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके/संबंधित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित (कॉलम संख्या - 7 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सेवानिवृत्ति किया जाता है :-

क्र. स.	नाम कार्मिक	एम्प्लोई आईडी	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	TARA CHAND	RJAL1987 02018770	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UNCHHPUR BANSUR (215771)	ALWAR	06-04-1963	30-04-2023

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 24.04.23

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/10908/सेवानिवृत्ति/23-24

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक डीपीसी के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
6. संबंधित संस्था प्रधान।
7. संबंधित कार्मिक।
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर